

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
जी-1 अनुभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक - 06.04.2010

दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), संचार भवन, नई दिल्ली में सामान (स्टेशनरी एवं अन्य संबंधित मदों) की आपूर्ति के लिए फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), संचार भवन, नई दिल्ली में प्रयोग हेतु सामान (स्टेशनरी एवं अन्य संबंधित मदों) की आपूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग, जीएफआर, 2005 के नियम 142 (i) के तहत, सीमित निविदा पूछताछ के माफ़त, पंजीकरण हेतु विख्यात फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करता है। स्टेशनरी एवं अन्य संबंधित मदों की आपूर्ति के लिए वे वस्तुएं जिनके लिए पंजीकरण सांकेतिक होगा, विभाग के विवेक के अनुसार उनका विस्तार किया जा सकता है:-

2. योग्यता (तकनीकी/वित्तीय):- पंजीकरण हेतु निम्नवत् निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के नाम पर विचार किया जाएगा:-

- (क) वित्तीय स्थिति: फर्म का वार्षिक कारोबार 15 लाख रुपये से कम का नहीं होना चाहिए। गत दो वर्षों के लाभ एवं हानि खातों एवं तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें।
- (ख) बोली के साथ शुल्क के रूप में 500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (वापिस योग्य नहीं) संलग्न होना चाहिए। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) आयकर अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (घ) पीएएन नम्बर
- (ङ) बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाणपत्र
- (च) फर्म का टीआईएन नम्बर
- (छ) टेलीफोन नम्बर (लैंडलाइन एवं मोबाइल)

2.1 बोलीदाता को सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य ऐसे संगठनों में इस प्रकार के कार्य की आपूर्ति/क्रियान्वयन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इस बारे में गत दो वर्षों के कार्य आदेश जैसे सहायक कागजात प्रस्ताव के साथ संलग्न होने चाहिए।

3. पंजीकरण की अवधि :- पंजीकरण की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष की होगी जिसे निविदाओं में भागीदारी के मद्देनज़र और माल की आपूर्ति के बारे में संतोषजनक स्थिति होने पर बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकता है। पंजीकृत फर्मों को प्रतिवर्ष पंजीकरण अवधि के समाप्त होने पर, प्रारंभिक पंजीकरण के समान ही, निर्धारित सभी अद्यतन कागजात संलग्न करते हुए नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

4. पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन न करने या समय पर माल की आपूर्ति न कर पाने या अच्छी गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति न करने या किसी सरकारी एजेंसी के समक्ष असत्य घोषणा करने या किसी ऐसी स्थिति में जो सरकार के दृष्टिकोण से जन हित में न हो, होने पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटाया जा सकता है।
5. ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित सभी कागजात सहित आवेदन सीलबंद लिफाफे में -----
29 अप्रैल, 2010 तक अवर सचिव (टी), कमरा नं: 511, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 के पास पहुँच जाना चाहिए। लिफाफे पर “सामान की आपूर्ति के लिए फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन” लिखा होना चाहिए। अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी प्रस्तावों की एक समिति द्वारा जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर उन फर्मों का नाम आपूर्तिकर्ताओं/सेवाओं के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया जाएगा। विभागाध्यक्ष बिना कोई कारण दिये किसी भी आवेदन को मंजूर/नामंजूर करने का अधिकार रखते हैं।

(एस. ई. रिज़वी)
अवर सचिव (टी)
फोन नं: 23036300